न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

21 / 2023

श्री बद्री लाल पुत्र श्री लालाराम बैरवा, अम्बेडकर हाउस, नया गांव खरेडा तहसील टोडारायसिंह टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 12.07.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 191 दिनाक 20.03.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

मैंने दिनांक 1-03-2023 को दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र जरिए रजिस्टर्ड डाक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 465/2020, 472/21 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम थाना टोडारायसिंह टोंक संबंध में कार्रवाई बाबत जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित किया था, उक्त परिवादों के संबंध में निम्न सूचनाएं मुझे दीजिए।

1 मैंने जो प्रार्थना पत्र प्रेषित किए थे उन दोनों प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रति।

2 उन प्रार्थना पत्रों को आपके सरकारी विभाग आवक जावक में इंद्राज किया उस की प्रमाणित प्रति।

3 मेरे प्रार्थना प्रार्थना पत्रों पर आपने कोई नोट शीट चलाई हो तो उसकी प्रमाणित प्रति।

4 मेरे प्रार्थना पत्रों पर आप द्वारा जितनी भी कार्यवाही की है मय कार्यवाही सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति।

5 मेरे प्रार्थना पत्रों पर बनाई गई पत्रावली के फाईल कवरों की उपर नीचे की प्रमाणित प्रति।

6 इसके अलावा मेरे प्रार्थना पत्रो पर आप द्वारा किसी भी सरकारी विभाग अथवा व्यक्ति से किया गया पत्राचार आपसी पत्राचार जो किया गया है उस की प्रमाणित प्रति।

7 मेरे प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम एवं मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम व पदनाम में संपूर्ण पत्रावली।

जिला कलेक्टर
टोंक

8 मेरे परिवादों/प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही जिस नियम के तहत नहीं की गई है उसकी प्रमाणित प्रति एवं आरटीआई आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 523 दिनांक 28.06.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक /सतर्कता/आरटीआई/2023/1081 दिनांक 06.07.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 513 दिनांक 04.04.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते